

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अवारडी
मू.अ.नि. मेठनुषिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगाव / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आजगा तहसील रेलमगाव व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 194 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आजगा	194	हरिनिह पुत्र शुरनिह हिमा 1/4 राजपुर S.B.B.J. राजपुर, डरीका	हरिनिह पुत्र शुरनिह हिमा 1/4 राजपुर S. B. I. राजपुर, डरीका


उपखण्ड अधिकारी


लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक - 382

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

राजसमन्द जिला